Rep/139

Asst. Registrar, Admin (A-1) Section

05.10.2018

Kindly refer to your requisition dated ~~04.09.20~~18 in question. It is submitted that from perusal of the misc. file no. IV-2776 of Sri Arun Kumar Saxena, retd. Additional District & Sessions Judge, Ballia retired compulsorily on 11.08.2008 from service, it appears that no such advance was sanctioned to him **by this Court.**

Report about any such advance, if sanctioned to him by the Government or any other authority cannot be submitted in particular, as there may be any such sanction earlier made to him, whose papers may be not placed on the misc. file of the officer, maintained in this Court.

Section Officer Admin (A-4)

प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
बलिया।

सेवा में,

श्री अरूण कुमार सक्सेना,
अपर जिला जज (सेवा निवृत्त),
बी–81, शास्त्री नगर,
मेरठ।

पत्र सं0 : ..../ बलिया : 2018.

विषय : **सामान्य भविष्य निधि पासबुक खाता संख्या एल0जे0यू0– 22225 में कमियों के निराकरण हेतु पासबुक प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में–**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहना है कि आपके सामान्य भविष्य निधि पासबुक खाता संख्या एल0जे0यू0–22225 को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1143 / XV दिनांक 03 जुलाई 2009 द्वारा आपको इस आशय से वापस की गयी थी कि इसमें कुछ कमियां है जिसका निराकरण होना आवश्यक है। परन्तु आप द्वारा दिनांक 23.04.2018 को इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पासबुक इस आशय से प्रेषित किया गया कि भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जा सके। पासबुक के परिशीलन से स्पष्ट है कि आप द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 03 जुलाई 2009 के अनुसार किसी कमी का निराकरण नही कराया गया है। कमी के निराकरण के बिना लेखा बन्दी नही किया जा सकता। बिना लेखा बन्दी के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव नही हो पाएगा। अतः इसका निराकरण होना आवश्यक है(विवरण संलग्न है)। इसलिए पुनः आपके सामान्य भविष्य निधि पासबुक खाता संख्या एल0जे0यू0–22225 को मूल रुप में कमीयों के निराकरण हेतु वापस किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सामान्य भविष्य निधि पासबुक की कमियों का निराकरण कराकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें ताकि भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

16 MAY 2018

संलग्नक :
1–सा0भ0नि0 पासबुक मूल– 1
2–पासबुक में कमियों का विवरण–1 पर्त

भवदीय,

(सुदीप कुमार बनर्जी)
जनपद न्यायाधीश,
बलिया।

1689/ XV/ 3.5.2018.

प्रतिलिपि सूचनार्थ उप निबन्धक (एम), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

(सुदीप कुमार बनर्जी)
जनपद न्यायाधीश,
बलिया।
01.05.18

जिला व सेशन जज
बलिया

797

S.O (ADMIN-H)

Kindly put up this matter with the appropriate file of Sri Arun Kumar Saxena, Retired ADJ, Ballia.

[signature] 26/07/18
R.O.

[signature]
26.07.18
S.O.

DR(M)

Letter of District Judge, Ballia to Sri Arun Kumar Saxena, Retired Additional District Judge regarding removal of objections on his Passbook LJU-22225; has been forwarded for information only.

May file?

[signature] 02/08/18
R.O.

Yes
[signature]
3/8/2018
DR

[signature]
02.08.18
S.O.

Page 139

सामान्य भविष्य निधि पासबुक सं0 एल. जे. यू. 22225 में कमियों का विवरण

1.	पृष्ट सं 6	अपुर्ण हैं।
2.	वि. व. 1999-2000	आहरण एवं अभिदान के कालम में कोषागार फतेहपुर द्वारा सत्यापित नही है।
3.	वि. व. 2000-2001	आहरण एवं अभिदान के कालम में कोषागार फतेहपुर द्वारा सत्यापित नही है।
4.	वि. व. 2001-2002	मार्च 01 के मई 01 आहरण एवं अभिदान के कालम में कोषागार फतेहपुर द्वारा सत्यापित नही है। जून 01 से फरवरी 02 डी. डी. ओ सहारनपुर द्वारा सत्यापित नही है साथ ही कोषागार बाउचर सं0 / दिनांक अंकित नही है।
5.	वि. व. 2002-2003	आहरण एवं अभिदान के कालम में डी. डी. ओ सहारनपुर द्वारा सत्यापित नही है साथ ही कोषागार बाउचर सं0 / दिनांक अंकित नही है।
6.	वि. व. 2003-2004	आहरण एवं अभिदान के कालम में डी. डी. ओ सहारनपुर एवं डी. डी. ओ. हमीरपुर द्वारा सत्यापित नही है।
7.	वि व. 2004-2005	आहरण एवं अभिदान के कालम में डी. डी. ओ झांसी एवं डी. डी. ओ. हमीरपुर द्वारा सत्यापित नही है।
8.	वि. व. 2005-2006	आहरण एवं अभिदान के कालम में डी. डी. ओ झांसी द्वारा सत्यापित नही है।

9- जितने भी एरियर की धनराशि अंकित है उसकी अवधि उल्लखित नही है।

बिल लिपिक

(सुदीप कुमार बनर्जी)
जनपद न्यायाधीश,
बलिया।
01.05.18

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:50:20 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad